

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री गोपालदत्त निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री गोपालदत्त, निवासी-ग्राम-पौटा कबूलपुर, थाना-बीबी नगर, जनपद-बुलन्दशहर हाल पता-कुचेसर रोड चौपाल, थाना-बाबूगढ छावनी, जिला हापुड का रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 30.09.1988 को सायं लगभग 05:00 बजे बुलन्दशहर से घर वापस आ रहे रामगोपाल एवं शेर सिंह की कट्टों से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 26-04-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14-03-2016 तक 15 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में सक्षम होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने की आवश्यकता होने, की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रामगोपाल एवं शेर सिंह की कट्टों से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री गोपालदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश (बन्दी संख्या-16272) पुत्र श्री गोपालदत्त निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-312/2017/1848(1)/22-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री गोपालदत्त, निवासी-ग्राम-पौटा कबूलपुर, थाना-बीबी नगर, जनपद-बुलन्दशहर हाल पता-कुचेसर रोड चौपाल, थाना-बाबूगढ़ छावनी, जिला हापुड का रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 30.09.1988 को सायं लगभग 05:00 बजे बुलन्दशहर से घर वापस आ रहे रामगोपाल एवं शेर सिंह की कट्टों से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 26-04-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14-03-2016 तक 15 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में सक्षम होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने की आवश्यकता होने, की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रामगोपाल एवं शेर सिंह की कट्टों से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री गोपालदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।